

पूर्वोत्तर रेलवे

अंशकालिक शिक्षक वाक—इन—इन्टरव्यू हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फार्म

आधिसूचना सं0 का/231/मिस/रेलवे स्कूल/संविदा/।।।

दिनांक 03.09.2020

ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 06.09.2020 को प्रातः 10.00 बजे प्रारम्भ होगा तथा दिनांक 09.09.2020 को शाय 18.00 बजे बन्द हो जायेगा।

केवल पंजीकृत अर्थर्थों को ही वाक—इन—इन्टरव्यू में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। पीजीटी एवं टीजीटी के walk-in-interview की सम्मानित तिथियां 21.09.2020 एवं 22.09.2020 हैं। पंजीकृत अर्थर्थों वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में प्रथम तल पर स्थित बैठक कक्ष में रिपोर्ट करें।

100 पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा संचालित विद्यालयों में संविदा के आधार पर अंशकालिक अध्यापकों के चयन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगी।

पीजीटी

Subject	English	Physics	Math	Biology	Hindi	Economics	Chemistry
No. of post	01	02	01	02	01	01	02

Subject	Home Science	Sociology	Commerce
No. of Post	01	01	01

टीजीटी

Subject	English	Hindi	Math	Science	Social Science
No. of post	01	01	02	01	02

200 वाक—इन—इन्टरव्यू हेतु केवल भारतीय नागरिक पात्र होंगे।

3.00 चूनतम् शैक्षिक योग्यता

3.01 स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी)

(क) दो वर्ष का एकीकृत

संबंधित विषय में एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजूकेशन का स्नातकोत्तर एमएस0सी0 पाठ्यक्रम

या

निम्नलिखित विषयों में कम—से—कम 50 प्रतिशत अंक के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री :

(क) पीजीटी (अंग्रेजी) – अंग्रेजी

(ख) पीजीटी—(हिन्दी) = स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ हिन्दी या संस्कृत

(ग) पीजीटी (गणित) – गणित/व्यावहारिक गणित

(घ) स्नातकोत्तर (भौतिकी) – भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/व्यावहारिक भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी

(ड) स्नातकोत्तर (रसायन विज्ञान) – रसायन विज्ञान/जीव रसायन

(ब) स्नातकोत्तर (जीव विज्ञान) – बॉटनी/जूलॉजी/लाइफ साइंसेज/बायो साइंसेज/जेनेटिक्स/माहक्रो बायोलॉजी/बायो टेक्नोलॉजी/मॉलेक्यूलर बायो/प्लांट फिजियोलॉजी वर्षों के उन्होंने स्नातक स्तर पर बॉटनी और जूलॉजी का अध्ययन किया हो।

(छ) स्नातकोत्तर (वाणिज्य) – वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री बहरहाल व्यवहारिक/व्यवसायिक अर्थशास्त्र में एमकाम डिग्रीधारी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होगा।

(ज) स्नातकोत्तर (गृह विज्ञान) – गृह विज्ञान

(झ) पीजीटी (अर्थशास्त्र) – अर्थशास्त्र/व्यावहारिक अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र

(ञ) पीजीटी (समाजशास्त्र) – समाजशास्त्र

(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. या इसके समकक्ष डिग्री।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में दक्षता।

वांछनीय – कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।

3.02 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टीजीटी)

(A) अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए निम्न शर्तें-

(i) स्नातक (अध्यापन विषय में) तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का छिप्लोमा (याहे वह किसी भी नाम से जाना जास्ता हो)। अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और 1 वर्ष की बी.एड.

Kum
03/09/20

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन के अनुसार 1 वर्ष की बी.एड।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक (बी.ई.एल.एड)

की उपाधि।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और 4 वर्ष की बी.ए./बी.एस.सी. या बी.ए.एड. या बी.

एससी.एड।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और 1 वर्ष की बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

- (ii) एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वाया
आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास।
- और

- (iii) अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हों।

3.04 उन अध्यर्थियों को तरजीह दी जा सकती है जिनके पास उपरोक्त निर्धारित योग्यताओं से अधिक योग्यता हो।

4.00 अन्य शर्तेः -

- (i) अंशकालिक शिक्षक अध्यापक कार्य के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय/स्कूल का अन्य कार्य जैसे-परीक्षा संचालन/मूल्यांकन कार्य/इनविजिलेशन कार्य आदि भी करेंगे, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ii) अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति विभागीय नामिका प्राप्त होने अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित अध्यर्थी के नियमित नियुक्ति हेतु
उपलब्ध होने तक अथवा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21 समाप्त होने तक में जो पहले होगा, के लिए ही अंशकालिक शिक्षकों को इमेज किया जायेगा।
इनकी सेवाओं को पुनः नवीनीकरण/कार्यविस्तार नहीं किया जायेगा। अध्यर्थी को अंशकालिक पद पर बने रहने हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा। पूर्व में सविदा पर नियुक्त किये गये अंशकालिक शिक्षक पुनः वर्तमान रिक्तियों के विरुद्ध निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवेदन कर सकते हैं,
लेकिन उनकी पिछली अन्तिम सेवाओं से 07 कार्यदिवस (excluding leave days) के पश्चात दी नियुक्ति की जा सकेगी।
- (iii) अध्यर्थी की आयु 05.09.2020 को 18 वर्ष से 65 वर्ष की बीच होनी चाहिए। 65 वर्ष आयु पूरा करने पर संविदा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- (iv) पीजीटी अंशकालिक अध्यापक को समेकित मासिक पारिश्रमिक रूपया 27,500/- प्रति माह एवं टीजीटी अंशकालिक अध्यापक को समेकित
मासिक पारिश्रमिक रूप 26250/- प्रति माह देय होगा। एक माह से कम की अवधि के लिए अनुपातिक आवाहन पर पारिश्रमिक देय होगा। उन्हें इस्तद
ऋतु/शीतकालीन अवकाश हेतु कोई अवकाश वेतन अथवा कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- (v) अंशकालिक शिक्षक अन्य कोई भी सुविधा जैसे—अवकाश, चिकित्सा, पास/पीटीओ, वाहन भत्ता आदि पाने के पात्र नहीं होंगे।
- (vi) अंशकालिक शिक्षकों को नियमित अध्यार पर नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा और वे रेलवे में शिक्षकों के कैडर का भाग नहीं होंगे।
- (vii) अंशकालिक शिक्षकों को शैक्षणिक वर्ष के दौरान संविदा कार्य को पूरा करने के लिए 100 रुपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर उपयुक्त राशि का क्षतिपूर्ति बंधयत्र (Bona) उपलब्ध कराना होगा। किसी भी यारिस्थिति में यदि अध्यर्थी द्वारा करार भग होता है तो अध्यर्थी बंधयत्र (Bona) में
अंकित राशि जमा करने के लिए बाध्य होगा।
- (viii) संविदा करार अंशकालिक शिक्षक और विद्यालय/स्कूल के प्रधानानावार्य के बीच अध्यर्थी द्वारा कार्य आस्त करने से पूर्व किया जायेगा।
- (ix) दोनों पार्टियों में यदि किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उसका निर्धारित विद्यालय के प्रधानानावार्य द्वारा किया जायेगा, शिक्षण के घटों (पीरियट)
के सम्बन्ध में अध्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में प्रधानानावार्य का निर्णय अन्तिम और अध्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- (x) यदि करार की दोनों पार्टियों में कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है तो महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के एकल मध्यस्थ का या उनके द्वारा
एकल मध्यस्थ के रूप में नामित किसी राजपत्रित अधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। संविदा की समान्य शर्तों
का मध्यस्थता खण्ड-64 लागू होगा।
- (xi) न्यायालय का क्षेत्राधिकार-इस संविदा के अन्तर्गत उठने वाले किसी प्रकार के विवाद को निर्णित करने का न्यायिक क्षेत्राधिकार गोरखपुर होगा।
- (xii) साक्षात्कार का कार्यक्रम पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन को
साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन का अधिकार होगा। अध्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार की तिथि आगे भी
बढ़ाई जा सकती है। अतः अध्यर्थियों को दो-तीन दिन इंतजार करना पड़ सकता है। तदनुसार अध्यर्थीगण इसके लिए तैयार होकर आयें। अध्यर्थियों
को साक्षात्कार हेतु आगे-जाने के लिए किसी भी प्रकार का रेल यात्रा पास अथवा अन्य कोई आर्थिक साहायता नहीं दी जायेगी।

5.00 पंजीकरण की अन्तिम तिथि:-

ऑन-लाइन पंजीकरण पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर दिनांक 05.09.2020 को ग्रातः 10.00 बजे
से आस्त होगा जो दिनांक 09.09.2020 को साये 18.00 बजे तक किया जा सकता है। साक्षात्कार की संभावित तिथियों दिनांक 21.09.2020 से
22.09.2020 है जिसकी अधिकारिक/विस्तृत सूचना उक्त वेबसाइट पर दिनांक 18.09.2020 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। साक्षात्कार के समय
अध्यर्थी आनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति तथा समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट साइज कीटो अवश्य लायें, तथा
अध्यर्थी अत्यकालिक सूचना पर साक्षात्कार हेतु तैयार रहें।

मुख्य प्रबन्धक
 (आर० पी० चन्द)
 उप मुख्य कार्यिक अधिकारी/मुख्यालय
 पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर